रजिस्टर्ड नं०-एन०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 23 अप्रैल, 2016 ई० (वैशाख 3, 1938 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर

25 जनवरी, 2016 ई0

सं0 668/सम्प0अनु0न0नि0सहा0--उत्तर प्रदेश नगर निगम अधि0 1959 (उत्तर प्रदेश अधि0 संख्या 2 सन् 1959) की धारा 438 और 541 के खण्ड 41 तथा खण्ड 48 तथा खण्ड 49 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम सहारनपुर नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 192, 193, 194, 195 के प्रायोजनो को लागू करने के उद्देश्य से जिस उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 543 की अपेक्षानुसार समस्त संबंन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये और उसके संबंध में आपत्तियों और सुझाव 15 दिन में आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा समाचार-पत्रों में नोटिस दिनांक 22 जनवरी, 2015 प्रकाशित की गई थीं। प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त नगर निगम सहारनपुर द्वारा विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियम उपविधि, 2014 के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर दिया गया है, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी और लागू होने की तिथि से पूर्व में प्रचलित विज्ञापन कर एवं वसूली संबंधी उपविधि जो कि 11 सितम्बर, 2004 से लागू थी, प्रभाव शून्य/निरस्त हो जायेगी।

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--

1--यह उपविधि नगर निगम सहारनपुर विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली विनियमन उपविधि 2014 कही जायेगी।

2--यह नगर निगम सहारनपुर की सीमा में लागू होगी।

3--यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी

2--परिभाषाएं--

1--जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में--

(एक) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है,

(दो) "विज्ञापन कर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है,

4/26-A

(तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्बे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(चार) "विज्ञापन" का तात्पर्य प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है।

(पांच) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

(छ) "पताका" (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(सात) "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो,

(आठ) "नगर निगम" का तात्पर्य यथा स्थिति नगर निगम सहारनपुर से है।

(नौ) "विद्युतीय विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज सज्जे, जो प्रतीको के महत्वपूर्ण अंग है, प्रयुक्त किये जाते हैं।

(दस) "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्बे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,

(ग्यारह) "प्रदीप्त विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,

(बारह) "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो,

(तेरह) "प्रक्षेपित विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(चौदह) "मार्गाधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है;

(पन्द्रह) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की, छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है;

(सोलह) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;

(सत्रह) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

(अठारह) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है;

(उन्नीस) "अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवाश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढ़ांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है;

(बीस) "वरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है;

(इक्कीस) "सचल विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है, जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है;

(बाइस) बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन—बस सायबान विज्ञापन का तात्पर्य, किसी बस संचालन के अधीन सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर लगाये गये, टागें, गये, लटकाये गये अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन से है।

(तेइस) जनसुविधा स्थान पट विज्ञापन—जो किसी जनसुविधा के ऊपर/पास में अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाया जाय।

(चौबीस) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाय।

(2) इन उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हो।

4/16-B

3–स्थल चयन के लिये समिति का गठन–

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट के लिय उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिये और उसके आकार, ऊंचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए नगर निगम सहारनपुर में एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे–

[एक] नगर आयुक्त	अध्यक्ष
[दो] नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित प्राधिकारी	सदस्य
[तीन] परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सदस्य
[चार] अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
[पांच] नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	सदस्य
[छः] परिवहन विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
[सात] सचिव, विकास प्राधिकरण	सदस्य
[आठ] उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
[नौ] भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
[दस] निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य

टिप्पणी–नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य का सहयोजित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन कर की समिति द्वारा अभिज्ञापित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिये।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–प्रतिषेध–

(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगर निगम की सीमा के भीतर भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा न लिखेगा, न चित्रितकरेगा या न लटकायेगा।

(2) नगर निगम सहारनपुर की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्रएवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट, प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट नियम 16 के अधीन यथा विर्निदिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5–(1) पंजीकरण एवं नवीनीकरण–

पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिये 3 श्रेणियां होगी ए श्रेणी सबसे छोटी श्रेणी, बी श्रेणी मध्यम श्रेणी, सी श्रेणी उच्च श्रेणी।

'ए' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 10,000 (दस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं रु0 50,000 (पचास हजार) धरोहर राशि रु0 तथा 'बी' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु0 20,000 (बीस हजार) एवं रु0 1,00,000 (एक लाख) धरोहर धनराशि एवं 'सी' श्रेणी में रु0 30,000 (तीस हजार) पंजीकरण धनराशि एवं रु0 2,00,000 (दो लाख) धरोहर धनराशि जमा करना होगा। पंजीकरण का नवीनीकरण हेतु प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष पर, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 07 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नवीनीकरण शुल्क 'ए' श्रेणी के लिये रु0 5,000 (पांच हजार), 'बी' श्रेणी के लिये रु0 10,000 (दस हजार) एवं 'सी' श्रेणी के लिये रु0 15,000 (पंद्रह हजार) देय होगा। यदि कोई एजेन्सी/ठेकेदार समस्त शहर का विज्ञापन का ठेका लेना चाहेगी तो उसे 'सी' श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

5—(2) अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया—

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे निर्धारित धनराशि रु0 100 का भुगतान करके नगर निगम सहारनपुर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या सम्बन्धित निकाय के वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना चिपकाया जाना,, वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी—

(क) प्रतीक की लम्बाई, ऊंचाई और भार को दर्शाते हुये पूर्ण विशिष्टियां, अवस्थिती जहां इसे विनिर्मित किया जाना है विनिर्माणकर्ता नगर निगम सहारनपुर और जहां प्रयोज्य हो वहां प्रकाश पूंजी संख्या और उसके विद्युतीय विवरण, ऐसे प्रपत्र 1:500 के पैमाने पर चित्रित प्रतीक की स्थल पर स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थिती मानचित्र से संलग्न होगा—

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत विज्ञापनों, प्रक्षिप्त या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो:

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामलों में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा—

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण—

(ख) नगर आयुक्त (नगर निगम सहारनपुर) द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट/आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणानाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 ''संरचना अभिकल्प धारा-1 भार, बल और प्रभाव'' के अनुसार होगा।

(ग) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(घ) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिये दायी होगा।

(ङ) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(च) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रखरखाव और सुरक्षा का दायी होगा।

(छ) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(ज) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि संलग्न होगी।

6—अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें—

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि—

[क] अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

[ख] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुदभूत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाय और विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठपित किया गया हो, की ऊंचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 06 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

[ग] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

[घ] प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

[ङ] विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

[च] विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

[छ] विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

[ज] मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

[झ] भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायान में किसी भी रूप में व्यवस्था नहीं डाला जायेगा।

[ञ] लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

[ट] विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

[ठ] भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्त्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।

[ड] विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा बांधा नहीं जायेगा।

[ढ] यूनीपोल/कैंटीलीवर के विज्ञापन के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की अपेक्षानुसार सुरक्षा मानको को पूरा करने पर ही अनुज्ञा दी जायेगी।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।

[क] यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है;

[ख] यदि कोई परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर, किया जाता है;

[ग] यदि विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

[घ] यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है;

[ङ] यदि ऐसा भवन या संरचना जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

7–प्रीमियम–

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेंगी, जो प्रत्येक स्थल के लिये न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत करेगी। समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे–

अपर नगर आयुक्त, निकाय में यातायात प्रभारी/ट्रैफिक इंजीनियर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी।

(2) मुहर बन्द लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये न्यूनतम 07 दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिए।

8–आवंटन समिति–

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निकाय में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

[एक]	निकाय में यातायात का प्रभारी	सदस्य
[दो]	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी	सदस्य
[तीन]	निकाय में विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट प्रभारी (मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी),	सदस्य सचिव

(2) समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदन करेगी।

(3) देय कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापन कर्ता द्वारा नगर निगम सहारनपुर को अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन कर की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एंव शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9–आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार–

नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है–

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुमन्य न हो।

ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रक्रिया का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत होगा।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबध में धारा 172 मे निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति–

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा:–

(एक)–सार्वजनिक नीलामी द्वारा ,

(दो)–निविदा आमंत्रित करने के द्वारा।

निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियमावली के अन्य प्राविधानों अन्तर्गत की जा सकती है।

11–अनुज्ञा की अवधि–

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीकरण के दिनांक से अनाधिक 02 वर्ष की अवधि के लिये ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीकरण किया जायेगा।

11–(1) अनुज्ञा की नवीनीकरण–

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं संपूर्ण विज्ञापन कर जमा कराकर आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुज्ञा का नवीनीकरण नियमावली के अन्य प्राविधानों के अन्तर्गत किया जा सकता हैं।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति–

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय में या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है।

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय ; और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडंडी/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा संबन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन--

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नही किया जायेगा। पदर्शित नही किया जायेगा संप्रदर्शित नही किया जायेगा, लगाया नही जायेगा, चिपकाया नही जायेगा, लिखा नही जायेगा, चित्रित नही किया जायेगा या लटकाया नही जायेगा यदि--

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर × 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मीटर से कम हो

(दो) यह किसी मार्ग संधियो या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुये मार्ग से मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात मे बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) नियम–3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

(पांच) यह मार्ग के उस पार एंव मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों, और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो,

(आठ) स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निकाय या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नही दी जायेगी।

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुंचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो।

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दॉयी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर।

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर।

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियत्रंक के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पांच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पटटों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र झण्डियों या पंत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और या इसलिए परिसंकटमय हो।

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो।

(सात) जब इनसे स्थानीय सुविधा प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नही होगी

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है।

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो।

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन–

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है।

(2) किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई 6.2मी0 से अधिक नहीं रखी जायेगी। और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

15–विज्ञापन पट्टों के प्रकार–विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के है:–

(1) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन

(2) भू-विज्ञापन

(3) छत विज्ञापन

(4) बरामदा विज्ञापन

(5) दीवार विज्ञापन

(6) प्रक्षिप्त विज्ञापन

(7) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

(8) आकाशीय विज्ञापन

(9) पताका/झण्डी विज्ञापन

(10) शामियाना विज्ञापन

(11) गुब्बारा विज्ञापन

(12) अस्थायी विज्ञापन

(13) सचल (मोबाईल) विज्ञापन

(14) विविध विज्ञापन

(15) ध्वनि विस्तारक यंत्र

16–दुकानों पर विज्ञापन–

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर की पूर्व अनुमति के बिना और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेटिंग लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या समानों के नाम, फलक लटकाकर, पेटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जाये तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेंगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्तयः जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन कराधेय होगी।

17–मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन–

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुये निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी–

(1) मार्ग प्रकाश खम्भों पर विज्ञापन,

(2) बस शेल्टर पर विज्ञापन,

(3) स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन,

(4) यातायात रोटरी क्लब और आईलैण्ड,

(5) मैदानों/पंगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां,

(6) वृक्ष रक्षक (Tree Guards)

(7) पुष्प पात्र स्टेण्ड्स (Flower pot stands)

18—छूट—

1—इस विज्ञापन उपविधि, 2014 की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखें किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट परन्तु इनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पांच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि वह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 मीटर$_2$ से अधिक न हो।

(सात) यात्रा मार्ग निर्देश।

(आठ) राजमार्ग विज्ञान पट्ट।

(नौ) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों पर प्रदर्शित विज्ञापन एवं निगम के बस स्टाप कैंपस के अंदर प्रदर्शित विज्ञापन, विज्ञापन कर से मुक्त होंगे।

19—**अस्थाई विज्ञापन पट्ट**—

(1) नगर आयुक्त (नगर निगम सहारनपुर) उसे ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर अस्थायी विज्ञापन प्रतीत परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा, के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

20—**विशेष नियंत्रण का क्षेत्र**• (1) जब नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुंचाने या उसके विरूपित होने की सम्भावना, हो तो वह ऐसे को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता हैं। पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता हैं।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा। जैसा कि नगर आयुक्त निकाय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के संबंध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी धोषणा से व्यथित अनुभव करें, ऐसे क्षेत्र की घेषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुगत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगी, जो उस परिसर का अध्यासी हो, भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहें, साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि "ज्वैलर्स" "कैफे" "डासिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा य नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन के विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

4/17-A

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतयः कोई अन्य विज्ञापन पटट नहीं होगा।

21–**निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा**–निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

22–**झण्डियों पर रोक** (1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा नगर आयुक्त उन्हीं झंडियों के विज्ञापन लटकाने/टांगने/संपदर्शित करने की अनुमति प्रदान करेंगे, जो कागज की बनी हो, प्लास्टिक/फाईबर की बनी अथवा ऐसे पदार्थ से बनी झंडियां जो सड़ती न हो की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) कोई भी अनुज्ञा निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाए और वह प्रति झण्डी दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहृत या विनिष्ट कर सकता है।

23–**अनुरक्षण और निरीक्षण** (1) **अनुरक्षण**–सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों बंधनी रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर जंग लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन' किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था**– प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा आच्छदित व उसके आस-पास के परिसंर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) **निरीक्षण**–प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

24–**प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**–नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निकाय अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज पर्यवेक्षण माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो भवन या भूमि के स्वामी के अनुमति युक्तियुक्त दिये बिना इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

25–**कर की भुगतान की रीति**–(1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किस्त में संदेय होगा, और जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पटट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। अनुसूची-2 इस उपविधि के अंत में अंकित है, जिसमें विज्ञापन और विज्ञापन पटट की दरें उल्लेखित है। यदि भारत सरकार मा0 राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित कोई कर या सर्विस चार्ज देय होगा तो एजेन्सी/ठेकेदार/अनुज्ञापी को देना होगा।

(2) यदि कोई विज्ञापन वित्तीय वर्ष के 06 माह के पश्चात् से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो विज्ञापन कर अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) उपरोक्त प्रयोजनों से भिन्न किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो दरें अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

26–**क्षेत्रों का वर्गीकरण**–विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर कर वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा–

(एक) प्रवर श्रेणी सबसे उच्च श्रेणी

(दो) 'ए' श्रेणी

(तीन) 'बी' श्रेणी

(चार) 'सी' श्रेणी सबसे निम्न श्रेणी

4117-B

27--**विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत**--नियम--12 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी--

(1) 6.1 × 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक लागत अथवा रु0 2,500 जो भी अधिक हो प्रति विज्ञापन देय होगा।

(2) ऊपर खण्ड(क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत अथवा रु0 5,000 प्रति विज्ञापन जो भी अधिक हो देय होगा।

(3) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत रु0 1,000 प्रति विज्ञापन देय होगा।

(4) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत रु0 5,000 प्रति विज्ञापन देय होगा।

28--**अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन** (1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लघंन ऐसे जुर्माने से जो रु0 5,000 पॉच हजार रूपये तक हो सकता है और उल्लघंन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लघंन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लघंन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो रु0 5,00 पॉच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2)--उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त नगर निगम, सहारनपुर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची-2
(नियम 25) देखें
विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर की दरें

1--भूमि दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिये--

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 900 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 700 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 600 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

2--यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत् अथवा इलेक्ट्रानिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हों तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

2--(1) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त 1 व 2 की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

3--(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन एवं अन्य पर सचल विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

वर्गीकरण	देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/प्रति वर्ष
हल्का वाहन	रु0 5,000 प्रति वर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	रु0 20,000 प्रति वर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन (रोड शो) निम्नलिखित दर पर--

	देय वार्षिक कर प्रतिवाहन/प्रति वर्ष
तीन पहिया	रु0 50 प्रति दिन
चार पहिया	रु0 500 प्रति दिन
छः पहिया	रु0 1000 प्रति दिन

4--विद्युत् तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट--

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,500 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 1,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

5--पोस्टर	रु0 300 (प्रति सैकड़ा) प्रति सप्ताह
6--परचा	रु0 600 (प्रति हजार) प्रति सप्ताह
7--पताका (बैनर)	रु0 300 (प्रति बैनर) प्रति सप्ताह

8–विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्त/परिवर्तनशील संदेश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह–

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 1,200 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

9–गुब्बारा रु0 500 प्रतिदिन

10–छतरी/कैनोपी रु0 500 प्रतिदिन

11–दीवार पर पेंटरों द्वारा लिखवाकर प्रचार प्रसार/वाल पेंटिंग कच्चे रंग से रु0 25 प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष

12–दीवार पर पेंटरों द्वारा लिखवाकर प्रचार प्रसार/वाल पेंटिंग पक्के रंग से रु0 50 प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष

13–एक स्तम्भ (यूनिपोल)

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 2,800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 1,800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,300 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 900 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

14–ट्री गार्ड ऊपर मद एक के अनुसार–

15–पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 4,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 1,500 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

16–बस शैल्टर

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 4,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

17–गैन्ट्री

वर्गीकरण श्रेणी	देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)
प्रवर श्रेणी	रु0 3,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
अ श्रेणी	रु0 2,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
ब श्रेणी	रु0 1,500 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
स श्रेणी	रु0 1,000 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

18–आटो रिक्शा थ्री-व्हीलर–

देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)

रु0 800 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष प्रति आटो

19–बसों पर–.

देय वार्षिक कर (प्रति वर्ग मीटर)

रु0 1,500 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

20–अन्य प्रकार के विज्ञापन जो उपरोक्त किसी में सम्मिलित न हों– उपर्युक्त मद 4 के अनुसार

21–रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में अंकित विज्ञापन की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

22–उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का विज्ञापन कर मद संख्या 1 के अनुसार लिया जायेगा।

23–ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 100 प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन।

24–निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण-पत्र संबंधित को प्रस्तुत करना होगा।

निजी भूमि भवन एवं स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होर्डिंग एवं यूनिपोल हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र

प्रतिबन्धित क्षेत्र–

(1) घंटाघर क्लाक टावर की 50 मी0 परिधि में।

(2) हास्पिटल चौक की 25 मी0 की परिधि में।

(3) कुतुबशेर चौक पर 20 मी0 की परिधि में।

(4) जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, मंडल आयुक्त आवास के सामने।

(5) गंगोह बस स्टैण्ड के सामने।

(6) सर्किट हाऊस के पास व उसके सामने।

(7) देहरादून चौक पर 20 मी0 की परिधि में।

(8) नगर निगम के मुख्य प्रवेश द्वार व स्टेडियम साईड प्रवेश द्वार के सामने।

(9) विश्वकर्मा चौक पर।

(10) कलेक्ट्रेट भवन के गेट से 50 मी0 की परिधि में।

उक्त के अतिरिक्त नगर आयुक्त को वी0वी0आई0पी0 मूवमेंट, यातायात तथा सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत किया जाता है।

धारा 26 के अन्तर्गत क्षेत्रों का वर्गीकरण–प्रवर श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, का उल्लेख किया गया हैं, जिसका श्रेणी वार विभाजन इस प्रकार है--

प्रवर श्रेणी–

(1) घंटाघर से लेकर हसनपुर चौराहे तक।

(2) घंटाघर से हास्पिटल चौक तक।

(3) घंटाघर से रेलवे स्टेशन तक।

(4) घंटाघर से पुल जोगियान तक।

(5) हास्पिटल चौक से दीवानी कचहरी तक।

'ए' श्रेणी–

(1) घंटाघर से कल्पना सिनेमा फलाईओवर तक।

(2) पुल जोगियान से बेहट बस अड्डे तक।

(3) रेलवे स्टेशन सहारनपुर जंक्शन से कोर्ट रोड पुल तक।

(4) कुतुबशेर थाने से गोल कोठी तक।

(5) पुल जोगियान से दाल मंडी पुल होते हुये धोबी घाट तक।

'बी' श्रेणी--

(1) राकेश कैमिकल प्लांट से महाराज सिंह डिग्री कालेज तक।

(2) अनुपम स्वीट्स से जैन डिग्री कालेज तक।

(3) जैन डिग्री कालेज से दिल्ली रोड तक।

(4) विश्वकर्मा चौक से रेलवे फाटक तक।

(5) हसनपुर चुंगी से मानकमऊ पुलिस चौकी तक।

'सी' श्रेणी--

नगर निगम सहारनपुर में सम्मिलित होने वाले नये क्षेत्र तथा जो क्षेत्र उपरोक्त किसी भी श्रेणी में वर्णित न हों (प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर)।

स्पष्टीकरण–

1–इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद दस प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

2–स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्देश्य से रुपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।

3–कर अग्रिम रूप से सन्देय योग्य होगा।

4–यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है तो विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

अनुसूची

(नियम 5(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1–आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम ....

2–अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम ....

3–पता ....

4–आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार ....

5–विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार ....

6–स्थल मानचित्र सहित स्थल की अवस्थिति ....

7–भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम ....

8–क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है।

9–(1) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व का प्रमाण-पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।

(2) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देय कर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(3) नगर आयुक्त, (नगर निगम सहारनपुर) द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट

10–(एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक कर,

(दो) किस्त की धनराशि

11–कोई अन्य विवरण ....

....

संलग्नक ....

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर।

ह0 (अस्पष्ट),
नगर आयुक्त,
नगर निगम, सहारनपुर।

सूचना

सर्विस रिकार्ड में पुत्री का नाम सुजाता चौहान 03 वर्ष गलत दर्ज है। सही नाम सुजाता सिंह, जन्मतिथि 01 जनवरी, 1994 पुत्री श्री विजय प्रकाश सिंह चौहान सही दर्ज की जावे। विजय प्रकाश सिंह चौहान एक्स0सी0 पी0ओ0डब्लू0टी0आर0 नं0 143007 टी0 117/एन/64 तुलसी नगर काका देव, कानपुर नगर।

विजय प्रकाश सिंह चौहान,
पुत्र स्व0 धर्म पाल सिंह चौहान,
पता–117/64, तुलसी नगर काका देव,
कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स सुपर मेडिकोज, सी0एस0-1, शॉप नं0 23, सेक्टर-25 नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर 201301 की साझीदारी में श्री रामाज्ञा एवं श्री देवेन्द्र पाल सिंह साझीदार थे। दिनांक 31 मार्च, 2016 को श्री रामाज्ञा एवं श्री देवेन्द्रपाल सिंह फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग-अलग हो गये हैं। फर्म की साझीदारी विघटित हो गई है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रामाज्ञा,
साझीदार,
मेसर्स सुपर मेडिकोज,
सी0एस0-1, शॉप नं0-23,
सेक्टर-25, नोएडा,
जिला–गौतमबुद्धनगर 201301।

पी0एस0यू0पी0 4 हिन्दी गजट–भाग 8–2016 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0 प्र0, इलाहाबाद।